



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 9 मार्च, 2021

फाल्गुन 18, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या 102/83-21-42सीडी-12

लखनऊ, 9 मार्च, 2021

अधिसूचना

प0आ0-125

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1968) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के जिलों यथा अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, फर्रुखाबाद, गोण्डा तथा मिर्जापुर के लिए व्यक्तियों के एक निकाय का गठन करती हैं जिसे सम्बन्धित जिलों का नागरिक सुरक्षा कोर कहा जाएगा, और सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त कोरों का समावेशन करने के लिए नियंत्रक के रूप में नियुक्त करती हैं।

राज्यपाल अग्रतर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क) के अधीन निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) और नागरिक सुरक्षा नियमावली, 1968 के नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 102/LXXXIII-21-42CD-12, Dated March 9, 2021:

No. 102/LXXXIII-21-42CD-12

Dated Lucknow, March 9, 2021

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Civil Defence Act, 1968 (Act no. 27 of 1968), the Governor is pleased to constitute for the Districts of the State viz- Aligarh, Ayodhya, Azamgarh, Banda, Basti, Farrukhabad, Firozabad, Gonda and Mirzapur a body of persons to be called Civil Defence Corps, of the respective Districts and to appoint the District Magistrate of the respective Districts as the Controller to Command the said Corps.

The Governor is further pleased to direct under clause (a) of section 17 of the aforesaid Act that the District Magistrate of the aforesaid districts shall be authorised to exercise the powers under sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Act and sub-rule (1) of rule 19 of the Civil defence Rules, 1968.

By order,
RAJAN SHUKLA,
Apar Mukhya Sachiv.